

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद उ० प्र०

1.0 योजना का नाम:

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र अंतर्गत निजी विकासकर्ता
..... द्वारा विकसित योजनाओं में दुर्बल आय वर्ग
(ई०डब्ल्यू०एस०) एवं अल्प आय वर्ग (एल०आई०जी०) भवनों के आवंटन हेतु
पंजीकरण।

2.0 योजना का विवरण :

यह योजना ई०डब्ल्यू०एस० एवं एल०आई०जी० भवनों की आवासीय योजना के
अंतर्गत भवनों की योजना है।

2.10 स्थिति:

उक्त भवन प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में स्थित
..... में स्थित है।

2.20 भवनों का अनुमानित क्षेत्रफल :

भवनों का अनुमानित क्षेत्रफल तालिका-1 के कॉलम संख्या-4 में दर्शाया गया है।

2.30 भवनों की संख्या :

भवनों की संख्या का विवरण तालिका-1 के कॉलम संख्या-7 में दर्शायी गयी है।
भवनों की संख्या घट बढ़ सकती है।

2.40 भवनों का अनुमानित मूल्य :

भवनों का अनुमानित मूल्य नियमानुसार तालिका-1 के कॉलम संख्या-4 में दर्शाया
गया है।

- 6 -

भवनों का अनुमानित क्षेत्रफल, संख्या एवं मूल्य:
तलिका-1

भवन के प्रकार	क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	उपलब्ध भवनों की संख्या	बेसिक विक्रय मूल्य	पंजीकरण राशि
EWS				
LIG				

*प्रमावी जी.एस.टी. अतिरिक्त देय होगा।

3.0 पात्रता:

- 3.10 आवेदक भारत का नागरिक हो।
- 3.20 आवेदक पत्र जमा करने की दिनांक पर आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- 3.30 आवेदक या उसके परिवार (परिवार से तात्पर्य आवेदक उसके पति / पत्नी तथा अवयस्क बच्चों से है।) के पास प्रश्नगत अभिकरण के विकास क्षेत्र में विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत कोई अपना भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिये तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए।
- 3.40 यदि कोई व्यक्ति (व्यक्ति विशेष) अथवा परिवार के आश्रित सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य का एक से ज्यादा योजनाओं में आवंटन हो जाता है, तो वह आवंटित सम्पत्ति में जमा की गयी धनराशि बिना किसी कटौती के वापस ले सकता है।
- 4.10 किसी अन्य प्रकार की जानकारी हेतु निजी विकासकर्ता..... की हेल्पलाइन सेवा का प्रयोग करें।

- 4.20 ऋण की सुविधा:** इस योजना के भवनों हेतु ऋण की सुविधा बैंक की विभिन्न शाखाओं में उपलब्ध है। बैंक की शाखाओं के बारे में जानकारी मो0 नं0 से प्राप्त की जा सकती है तथा उक्त सूची प्राधिकरण की वेबसाइट एवं विकासकर्ता की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। ऋण के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी प्राधिकरण के स्वागत कक्ष से भी प्राप्त की जा सकती है।

5.10 आवंटन धनराशि :

लॉटरी ड्रा के आधार पर सफल आवेदकों को आवंटित भवन के अनुमानित मूल्य का 15 प्रतिशत आवंटन पत्र जारी होने की तिथि (अर्थात पंजीकृत डाक पत्र प्रेषण तिथि) से 1 माह की अवधि में संबंधित निजी विकासकर्ता के पक्ष में जमा कराना होगा, जिसमें आवेदन पत्र के साथ की गयी पंजीकरण राशि को समायोजित कर लिया जायेगा।

5.20 किश्ते :

आवंटन पत्र जारी होने के उपरांत शेष 75 प्रतिशत धनराशि 6 वर्षों में 24 त्रैमासिक किश्तों में 10 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित देय होगी। ब्याज की गणना रुपये के निकटतम पूर्णांक में होगी। शेष धनराशि जमा कराने का स्थान/समय आवंटन-पत्र में निजी विकासकर्ता द्वारा अवगत कराया जायेगा तथा प्राधिकरण की वेबसाइट www.gdaghaziabad.in एवं विकासकर्ता की वेबसाइट पर भी यह विवरण उपलब्ध रहेगा।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद । (टिप्पणियां एवं आदेश)

5.30 एकमुस्त भुगतान छूट:

आवंटी द्वारा भवन की कुल कीमत का आवंटन पत्र जारी होने की तिथि अर्थात रजिस्टर्ड पत्र प्रेषण तिथि से 90 दिनों के अन्दर शेष राशि का एकमुस्त भुगतान करने पर भवन के मूल्य पर 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

5.40 दण्डब्याज:

यदि आवंटी द्वारा विकासकर्ता को देय राशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं किया जाता है तो 13 प्रतिशत की वार्षिक दर से पैनल ब्याज सहित देय राशि का भुगतान करना होगा। लगातार तीन किस्तों का भुगतान न करने की दशा में बिना किसी पूर्व सूचना के आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। (प्राधिकरण में प्रचलित नियमानुसार)

6.0 समर्पण/निरस्तीकरण:

6.10 झा से पूर्व पंजीकरण धनराशि की मांग किये जाने पर पंजीकरण धनराशि बिना किसी कटौती के वापस की जाएगी।

6.20 आवेदक/आवंटी द्वारा आवंटित भवन को समर्पण की मांग किये जाने की दशा में पंजीकरण राशि में 20 प्रतिशत की कटौती कर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। धनराशि वापसी हेतु समस्त मूल प्रपत्र व मूल रशीद वापस करनी होगी।

6.30 भुगतान विवरण के अनुसार 3 किस्तें अदा न करने पर भवन का आवंटन को निरस्त करने का अधिकार विकासकर्ता को होगा।

7.0 आय कोड:

ई0डब्लू0एस0 परिवार की वार्षिक आय रु 3 लाख तक तथा एल0आई0जी0 परिवार की वार्षिक आय रु 3 लाख से 6 लाख तक होनी चाहिए। भविष्य में भी हुडको/भारत सरकार द्वारा मानक पुनरीक्षण न करने पर वार्षिक आय सीमा को प्रत्येक वर्ष कास्ट इंडेक्स के आधार पर पुनरीक्षण किया जायेगा।

7.10 आय सीमा का निर्धारण:

8.0 कोटा:

8.10 निम्नलिखित श्रेणी के आवेदकों को शासनादेश के अनुसार आरक्षण की सुविधा दी जायेगी। जो नीचे दिये गये प्रतिशत के अनुसार होगी।

क्रम संख्या	वर्ग	कोटा कोड	कोटा प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	02	21%
2.	अनुसूचित जनजाति	03	2%
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	04	27%
4.	रक्षा कार्मिक एवं सरकारी कर्मचारी आयु 50 वर्ष से अधिक हो		
(क)	रक्षा कार्मिक	05	5%
(ख)	सरकारी कर्मचारी	06	5%
5. (क)	स्वतन्त्रता सेनानी	08	5%
(ख)	संसद सदस्य, विधानसभा/विधान परिषद सदस्य	09	5%
6. (क)	उ0 प्र0 विकास प्राधिकरण कर्मचारी	10	2%
(ख)	सिटी बोर्ड कर्मचारी	11	2%
(ग)	उ0 प्र0 नगर निगम कर्मचारी	12	2%
(घ)	उ0 प्र0 जल संस्थान कर्मचारी	13	2%
(ङ)	उ0 प्र0 हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी	14	2%

(च)	उ0 प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन के कर्मचारी (उ0 प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के वे कर्मचारी सम्मिलित होंगे जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो)	15	2%
(छ)	आवास बन्धु उ0प्र0 के कर्मचारी (आवास बन्धु उ0प्र0 कर्मचारी सम्मिलित होंगे, जिन्होंने कम से कम 2 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो)	16	2%
7.	भूतपूर्व सैनिक एवं उनके आश्रित	17	1%

नोट: आरक्षण का दावा करने वाले आवेदकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। सक्षम प्राधिकारी स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र को सामान्य श्रेणी में सम्मिलित करते हुए ड्रॉ में सामिल किया जायेगा, तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

8.11 क्षैतिज आरक्षण:

8.12 दिव्यांग आवेदकों हेतु कुल घोषित भवनों की संख्या का 03 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा, अतः दिव्यांग आवेदकों को दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से प्राप्त कर संलग्न करना होगा।

8.13 वरिष्ठ नागरिकों को कुल घोषित भवनों की संख्या का 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा, जिस हेतु वरिष्ठ नागरिकों को आयु प्रमाण पत्र भी संलग्न करना एवं आवेदन पत्र में आरक्षित कोटा कोड भरना आवश्यक है। वरिष्ठ नागरिकों से तात्पर्य है कि योजना के प्रारम्भ होने की तिथि से वरिष्ठ नागरिकों की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

8.14 दिव्यांग अथवा वरिष्ठ नागरिक होने का सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र संलग्न न किये जाने की दशा में आवेदन पत्र को सामान्य श्रेणी में सम्मिलित करते हुए ड्रॉ में सम्मिलित कर लिया जायेगा, तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

8.15 यदि आरक्षित श्रेणियों में आवेदक उपलब्ध नहीं होते हैं तो आवंटन सामान्य श्रेणी के आवेदकों को कर दिया जायेगा।

9.0 सामान्य आवेदक:

आरक्षित श्रेणी के आवंटन के पश्चात शेष भवनों का आवंटन सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को कर दिया जायेगा, सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करने वाले आवेदक अपने आवेदन पत्र की मद संख्या 11 के अन्तर्गत भरें।

10.0 ड्रा प्रक्रिया:

10.10 योजना के ड्रा के समय उपस्थित होने के इच्छुक आवेदकों की उपस्थिति उ0प्र0 शासन द्वारा गठित समिति द्वारा ड्रा निकालकर भवन का आवंटन किया जायेगा। ड्रॉ की तिथि एवं स्थान की सूचना व्यक्ति विशेष को अलग से नहीं दी जायेगी। उक्त सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों एवं प्राधिकरण तथा विकासकर्ता की website के माध्यम से किया जायेगा। इस सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति प्राधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं की जायेगी। किसी भी आवेदक द्वारा किसी भवन विशेष हेतु कोई भी क्लेम स्वीकार नहीं होगा। योजना का ड्रॉ लगभग 06 माह में सम्भावित होगा।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद । (टिप्पणियां एवं आदेश)

10.20 योजना हेतु प्राप्त आवेदनों-पत्रों की प्रारम्भिक जांच उपरान्त आवेदन-पत्रों की सूची झा से पूर्व प्राधिकरण स्वागत कक्ष एवं वेबसाइट पर 3 दिन की अवधि के लिए, आवेदकों से उक्त सूची में प्रविष्टियों के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति (यदि कोई हो) आमंत्रित करने हेतु प्रदर्शित की जायेगी। सूची प्रविष्टियों पर आपत्ति व आवश्यक संशोधन हेतु आवेदक निर्धारित अवधि में लिखित रूप से आवेदन कर सकता है निर्धारित अवधि के उपरान्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा एवं प्रविष्टि सूची के आधार पर ही अर्हता संबंधी निर्णय लेकर झा हेतु आवेदकों की सूची तैयार की जायेगी।

11.0 असफल आवेदक:

11.10 असफल आवेदकों की पंजीकरण धनराशि आवेदक के बैंक खाते में एक माह बाद आर.टी.जी.एस. के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।

12.0 मिथ्या अभ्यावेदन अथवा तथ्यों का छुपाना:

यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत सूचनाएँ दी गई हैं अथवा उसने किन्हीं वास्तविक तथ्यों को छुपाया है तो पंजीकरण के साथ-साथ भवन का आवंटन आवेदक को बिना बताये निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे भविष्य में होने वाले झों से वंचित कर दिया जायेगा एवं पंजीकरण राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

13.0 विक्रय विलेख:

विक्रय विलेख/लीजडीड का निष्पादन का सम्बंधित विकासकर्ता द्वारा किया जायेगा एवं इस हेतु आने वाले व्यय आवंटी द्वारा स्वयं वहन करना होगा। आवंटन की तिथि से 05 वर्षों तक आवंटित भवनों के विक्रय/हस्तांतरण पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। यदि किसी लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो सर्वप्रथम भवन का कब्जा उसके विधिक उत्तराधिकारियों को नियमानुसार हस्तगत किया जायेगा।

14.0 कब्जा:

14.10 भवन का कब्जा भवन के मूल्य की समस्त धनराशि जमा कराने के पश्चात हस्तगत किया जायेगा। इसके लिए आवंटी व विकासकर्ता के मध्य अनुबन्ध विलेख निस्पादित कराना होगा, अनुबन्ध विलेख पर आने वाला समस्त व्यय आवंटी द्वारा वहन किया जायेगा।

आवंटी को समय-समय पर लागू होने वाले म्यूनिसिपल कर एवं अन्य कर जो स्थानीय निकाय या शासन द्वारा नियम एवं उपनियम के अन्तर्गत लगाये जाते हैं का भुगतान करना होगा।

14.20 आवंटी को विद्युत, पावर बैकअप, जलापूर्ति, जल-मल निकासी, इन्ट्रेस्ट फ्री मेन्टेनेंस सिक्योरिटी (वन टाइम), इलैक्ट्रिसिटी मीटर चार्ज, आई.जी.एल. कनेक्शन चार्ज, डाटा एण्ड वॉयस इक्यूपमेंट चार्ज एवं सी.ए.एम. चार्ज हेतु संबंधित रख-रखाव कंपनी के पक्ष में निर्धारित प्रभार शुल्क जमा कराकर अनुबंध प्राप्त करना होगा, प्रभार शुल्क निम्नवत होंगे।











मद	प्रभार शुल्क
इन्ट्रेस्ट फ्री मेन्टेनेंस सिक्क्योरिटी (वन टाइम)	
इलैक्ट्रिसिटी मीटर चार्ज	
पावर बैकअप	
आई.जी.एल. कनेक्शन चार्ज	
डाटा एण्ड वॉयस इक्यूपमेंट चार्ज	
कॉमन एरिया मेन्टेनेंस चार्ज (सी.ए.ए.)	
सीवर एण्ड वॉटर कनेक्शन चार्ज	
	*प्रभावी जी.एस.टी. अतिरिक्त देय होगा।

14.30 यदि आवंटी निर्धारित तिथि तक भवन का कब्जा नहीं लेता है तो आवंटी को नियमानुसार रु-600.00 प्रतिमाह चौकीदारी शुल्क देय होगा, जिसमें प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से 10 प्रतिशत की स्वतः बढ़ोत्तरी की जाती रहेगी।

14.31 एल0आई0जी0 एवं ई0डब्ल्यू0एस0 के रखरखाव का दायित्व ए0ओ0ए0 बनने तक विकासकर्ता का है। आवंटी को रखरखाव के नियमों का पालन करना होगा जो विकासकर्ता द्वारा बनाए गए हैं।

15.0 भवनों का प्रयोग:

आवंटी द्वारा भवनों का प्रयोग केवल आवासीय प्रायोजन के लिए ही किया जाएगा।

16.0 अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें:

16.10 उपरोक्त के अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में किसी भी नियम/शर्तों के संशोधन का सर्वाधिकार उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में निहित होगा, जो समस्त आवेदकों/आवंटियों को मान्य होंगे।

16.20 तालिका - 1 में दर्शाये गये क्षेत्रफल में परिवर्तन हो सकता है। योजना के वास्तविक क्रियान्वयन के समय भवनों के क्षेत्रफल में परिवर्तन संभव है जो अंतिम रूप से बाद में सूचित किया जायेगा। जिसे आवंटी को स्वीकार करना होगा तथा उसके अनुसार भुगतान करना होगा।

16.30 इस योजना से संबंधित प्रत्येक मामले पर उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

16.40 किसी भी विवाद की दशा में गाजियाबाद कोर्ट को ही अधिकार क्षेत्र प्राप्त होगा। चाहे भले ही आवेदक द्वारा पंजीकरण धनराशि/आवेदन पत्र प्रस्तर/5 की किसी भी बैंक शाखा में जमा किया गया हो।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ।

(टिप्पणियां एवं आदेश)

पंजीकरण दिनांक

पंजीकरण दिनांक

Form No.:

Receipt Property Section Copy

Form No.:

Receipt Property Section Copy

आवेदक प्रति/रसीद

Applicant Copy/Receipt

रसीद

Receipt

योजना का नाम दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग भवनों हेतु
पंजीकरण
Scheme Name: Registration for allotment of EWS/
LIG houses.

योजना का नाम दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग भवनों हेतु
पंजीकरण
Scheme Name: Registration for allotment of EWS/
LIG houses.

सम्पति श्रेणी: समूह आवासीय
Property Category: Group Housing

सम्पति श्रेणी: समूह आवासीय
Property Category: Group Housing

नाम (श्री/सुश्री/सर्वश्री)
Name (Mr./Ms./Mrs.)

नाम (श्री/सुश्री/सर्वश्री)
Name (Mr./Ms./Mrs.)

पिता/पति का नाम श्री
Father's/Husband
Name Mr.

पिता/पति का नाम श्री
Father's/Husband
Name Mr.

पत्र व्यवहार का पता
Address for correspondence

पत्र व्यवहार का पता
Address for correspondence

जमा की गई धनराशि
Amt. deposited Rs.

जमा की गई धनराशि
Amt. deposited Rs.

दिनांक आवेदक के हस्ताक्षर
Date: Signature of Applicant

दिनांक आवेदक के हस्ताक्षर
Date: Signature of Applicant

Received a sum of Rs.

Received a sum of Rs.

DD no. Date

DD no. Date

Drawn on
DD MM YY

Drawn on
DD MM YY

Date of receipt
[][][][][][]

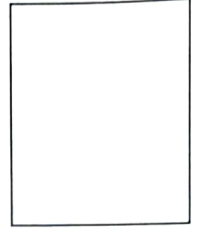
Date of receipt
[][][][][][]

Seal & Signature of the bank

Seal & Signature of the bank

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

आवेदन फार्म
EWS/LIG



पंजीकरण दिनांक

आवेदन पत्र संख्या

Form No.

फार्म सं०.....

विज्ञापन दिनांक

1. योजना का नाम : दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग भवनों हेतु पंजीकरण
Scheme Name : Registration for allotment of EWS/LIG House

2. सम्पत्ति श्रेणी व कोड : दुर्बल आय वर्ग ☐ अल्प आय वर्ग ☐
Property Category & Code : EWS LIG

3. नाम (श्री/सुश्री/सर्वश्री):
Name (Mr./Ms./Mrs.)

4. पिता/पति/पत्नी का नाम:

5. संयुक्त नाम (यदि हो) :
Joint Name (if any)

6. पत्र व्यवहार का पता
Address for Correspondence

7. पिन कोड
Pin Code

8. लिंग
Sex पुरुष ☐ महिला ☐ उभय लिंगी ☐

9. वर्ग कोड
Category Code

10. वैवाहिक स्तर
Marital Status विवाहित ☐ अविवाहित ☐
Married Unmarried

11. कोटा कोड
Quota Code

12. व्यवसाय कोड
Occupation Code

13. विकलांगता/वरिष्ठ नागरिक कोड
Handicapped/Senior Citizen Code

14. आय कोड
Income Code

15. वार्षिक आय
Annual Income

24

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ।

(टिप्पणियां एवं आदेश)

16. स्थायी पता
Permanent Address _____
17. आवेदक का बैंक खाता संख्या
Applicant's Bank Account No. _____
18. बैंक शाखा का नाम व आईएफएससी कोड
Bank Branch Name & IFSC Code _____
(कृपया अपने बैंक खाते के निरस्त चैक की कॉपी संलग्न करें)
19. आवेदक का दूरभाष नं० व ईमेल
Applicants Phone No. & Email _____
20. जमा की गई धनराशि का विवरण
धनराशि _____
बैंक का नाम व शाखा _____
21. मैं श्री/श्रीमती एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि प्राधिकरण विकास क्षेत्र के अन्तर्गत मेरे/मेरे पति/पत्नी के नाम कोई भी भवन/भूखण्ड नहीं है। यदि कोई भवन/भूखण्ड पाया जाता है तो मेरा आवेदन पत्र/आवंटित भवन को निरस्त कर दिया जाये, इसके लिए मेरे द्वारा किसी न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया जायेगा। इस आशय का शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। (शपथ पत्र, फोटो, आईडी0 व नोटेरीयुक्त होना चाहिए)

संलग्नक (यदि कोई हो)
Enclosure (If Any)

आवेदक के हस्ताक्षर/आवेदकों के हस्ताक्षर
Signature of Applicant(s)

नामित व्यक्ति एवं पारिवारिक सूचना NOMINATION AND FAMILY DETAILS

22. नामित व्यक्ति का नाम:
Name of Nominee
नामित अवयस्क होने की दशा में अवयस्क के अभिभावक का नाम व पता
Guardian Name in Case of Minor
.....
.....
.....

23. परिवार के सदस्यों की संख्या
Details of Family Name

परिवार के सदस्यों का विवरण

क्रमांक	नाम	आयु	आवेदक से सम्बन्ध
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

उपरोक्त विवरण की सत्यता मैं स्वयं प्रमाणित करता हूँ।

घोषणा

मैं एतद्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि उपर्युक्त क्रमांक 1 से 23 तक दी गई सूचना मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार पूर्ण रूप से सत्य है और प्राधिकरण को सभी नियम एवं शर्तें मुझे मान्य हैं। इस शपथ पत्र में कुछ भी छिपाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। यदि मेरे द्वारा की गई उपरोक्त बयानों में कुछ भी गलत अथवा असत्य हो, मैंने कोई महत्वपूर्ण बात छिपाई हो तो अन्य अधिकारों के अतिरिक्त गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को पूरा-पूरा अधिकार होगा कि आवंटन/रजिस्ट्रेशन रद्द कर दें, पुनः कब्जा ले लें और इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा जमा धन को जब्त कर लें और मेरे विरुद्ध जो भी कार्यवाही उचित समझे करें, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

दिनांक:-

आवेदक के हस्ताक्षर